NewsBroadcastersAssociation

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन
अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए विशेष दिशा निर्देश

10 फरवरी को जारी किए गये रिपोर्टिंग के विशिष्ट दिशा निर्देशों के बाद अब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने 'अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए विशेष दिशा निर्देश' के नाम से निम्नलिखित गाइडलाइन्स तय की है :–

1 किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे मामलों की सुनवाई की रिपोर्टिंग पूरी तरह तटस्थ और संतुलित होनी चाहिए और मामले से जुड़े सभी पक्षों या जहां तक कि संभव हो सके सभी पक्षों की बातों को उचित रुप से पेश किया जाना चाहिए।

2 किसी भी अदालती मामले की सुनवाई को रिपोर्ट करते समय, चाहे मामला दीवानी का हो या फौजदारी का, न्यूज चैनल को किसी एक पक्ष की तरफ झुका नहीं होना चाहिए या दिखना चाहिए। न ही किसी एक पक्ष की बातों, मुद्दों या रुख को ज्यादा महत्व दे कर प्रचारित करना चाहिए।

3 किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य किसी न्यायिक फोरम में चल रहे मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग करते समय किसी भी प्रकार के अनुमान लगाने या अटकलबाजियों से बचा जाना चाहिए।

4 जिन मामलों में सुनवाई बंद कमरे में हो रही हो या अदालत ने उसकी रिपोर्टिंग पर किसी प्रकार की रोक लगायी हो, उनको छोड़कर न्यूज चैनल किसी भी मामले की रिपोर्टिंग के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि ये रिपोर्टिंग बिल्कुल सही और तथ्यों पर आधारित हो और अदालत में कही गयी बातों का रिपोर्ट में एकदम सही वर्णन किया गया हो और मामले से जुड़े सभी पक्षों की बातों को उचित ढंग से जगह दी गयी हो।

न्यूज चैनल निम्नलिखित प्रकार की रिपोर्टिंग से बचें :

क) अदालत में चली कार्यवाही की 'रनिंग कमेंट्री' न की जाए। सुनवाई के दौरान होने वाली तमाम मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। जिन्हे रिकॉर्ड में शामिल न किया गया हो। इनमें जज, वकील, वादी प्रतिवादी और गवाहों की मौखिक टिप्पणियां शामिल हैं।

ख) अदालतों मे विचाराधीन किसी मामले के बारे में किसी पत्रकार या न्यूज चैनल की अपनी राय, निष्कर्ष, अटकलबाजी या खोजबीन जो कि विचाराधीन मुद्दे के बारे में अपनी ओर से निर्णय सी देती लगे, नहीं की जानी चाहिए।

ग) किसी आरोपी या पीड़ित के व्यक्तिगत चरित्र पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और न ही उन्हे किसी अपराधी की तरह चित्रित किया जाना चाहिए।

घ) रिपोर्टिंग इस प्रकार न की जाये जिससे किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य न्यायिक फोरम में चल रहे किसी दीवानी या फौजदारी मामले की सुनवाई मे किसी प्रकार की दखलंदाजी हो या उससे सुनवाई में किसी प्रकार की वाधा पहुंचे।

ङ) ऐसी रिपोर्टिंग न हो जिससे अदालत की अवमानना होती हो।

5 किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य न्यायालय में चल रही कार्यवाही या पूरी हो गयी कार्यवाही की रिपोर्टिंग तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक रिपोर्टर और या संपादक ने रिपोर्ट की जाने वाली सामग्री की प्रमाणिकता और तथ्यपरकता की जांच पहले अदालती रिकॉर्डों से न कर ली हो। या कम से कम अदालती कार्यवाही के दौरान वह स्वयं उपस्थित रहा हो। अदालती कार्यवाही की बिल्कुल सही तरीके से तथ्यपरक और प्रामाणिक रिपोर्टिंग हो इसके लिए रिपोर्टर के साथ–साथ न्यूज चैनल का संपादकीय प्रमुख भी पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

6 किसी अपराध के मामले में एफ आई आर दर्ज होने के बाद न्यूज चैनज ऐसी कोई रिपोर्ट प्रसारित नहीं करेगा जिससे मामले के बारे में किसी खास तरह की राय बनती हो या किसी विशेष प्रकार का निष्कर्ष निकलता हो या जिससे मामले की चल रही जांच या मामले में जुटाये या अदालत में पेश किए गये सबूतों का खुलासा होता हो।

7 न्यूज चैनल किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या न्यायिक फोरम द्वारा की गई किसी न्यायिक कार्रवाई आदेश या निर्णय पर जनहित में उचित टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन न्यूज चैनल किसी जज या ट्रिब्यूनल के किसी सदस्य पर निजी पूर्वाग्रहों, अनुचित उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करने या उनकी योग्यता या निष्ठा के संबंध में व्यक्तिगत दोषारोपण या लांछन नहीं लगाएंगे। न्यूज चैनल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे जिससे अदालत या कुल मिलाकर संपूर्ण न्यायपालिका की छवि को आघात पहुंचे।

8 न्यूज चैनल किसी आरोपी या मुजरिम करार दिये गये व्यक्ति के परिवारजनों, सगे संबंधियों और सहयोगियों पर उस व्यक्ति से संबंधों के आधार पर कोई टिप्पणी करने से अपने आप को दूर रखेंगे जब तक कि ऐसा उल्लेख रिपोर्ट की विषय वस्तु के संबंध में प्रासंगिक न हो।

9 किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या न्यायिक फोरम में चल रहे किसी मामले की कार्यवाही की रिपोर्ट इस तरह से की जाये कि मामले में 'तथ्यों' (जो कि उस समय सार्वजनिक तौर पर जानकारी में हो) और 'आरोपों' में अंतर स्पष्ट रुप से समझ में आये।

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 15 सितंबर 2010